मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:
02/27/18 01/02/20 1 वर्ष, 10 माह, 6 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या- ७०/२०१८

अनुराग जैन उर्फ रिंकू उम्र ३५ वर्ष पुत्र स्व. डॉ. जे.के. जैन हाल निवासी ४ए, पार्श्व नगर, जैन कॉलोनी करगुवॉ, थाना नवाबाद जिला झाँसी

-------याची

प्रति

राजकुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी ग्राम पठारी थाना रक्सा जिला झाँसी

-------विपक्षी

याची के अधिवक्ता- श्री हरी सिंह यादव
विपक्षी के अधिवक्ता- श्री राकेश चन्द्र साहू

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा १६६ व १४० के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याची अनुराग जैन स्वयं को आयी चोटों के कारण ₹ १६,२५,०००/- क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची दिनॉक १५.०९.२०१६ को अपनी मॉ का व्रत होने के कारण जूस लेने घर से पैदल जा रहा था तथा जब वह सड़क किनारे अपनी साइड से विश्वविद्यालय चौकी के पास पहुँचा तभी समय करीब ४:३० बजे शाम पीछे से मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर नं. यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक राजकुमार ने तेजी व लापरवाही से चलाकर याची को टक्कर मार दी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर उपस्थित वसीम खॉ, अरविन्द कुशवाहा व अन्य लोगों ने याची को मेडिकल कॉलेज, झाँसी के आकस्मिक विभाग में भर्ती कराया तथा उपस्थित लोगों ने मोटर साईकिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। याची की गम्भीर हालत होने के कारण तथा मेडिकल कॉलेज, झाँसी में इलाज की सही व्यवस्था न होने के कारण उसके परिवार वालों ने याची को नारायण हॉस्पिटल आई.सी.यू. में भर्ती कराया। दुर्घटना में याची की बायीं आँख के ऊपर व नीचे गम्भीर चोटें आईं तथा कई टॉके लगे तथा एक्स-रे व सीटी स्कैन में याची के दिमाग की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया एवं सिर में चार जगह ब्लड क्लोटिंग हो गयी थी, जिस कारण अचेतन अवस्था में रहकर उसका आई.सी.यू. में इलाज चलता रहा व वह दिनाँक १७.०९.२०१६ से २५.०९.२०१६ तक नारायण हॉस्पिटल, झाँसी में भर्ती रहा। याची के ठीक न होने पर वह सिंघई हेल्थ केअर मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, करगुवॉ, झाँसी में ३१.०५.२०१७ से ०५.०६.२०१७ तक भर्ती रहा व इलाज चला। इसके अलावा याची का रामराजा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल ओरछा रोड, झाँसी में दिनाँक ०८.०७.२०१७ से १५.०७.२०१७ तक भर्ती रहकर इलाज चला। याची के दिमाग में गम्भीर चोट होने के कारण याची पूर्व की भांति कार्य करने में सक्षम नहीं है तथा उसकी याददस्त एवं कार्यक्षमता में कमी आ गई है। याची के भाई ने कई बार थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिये किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। दिनाँक २४.०७.२०१७ को पुनः याची के भाई ने चालक राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसके पश्चात वाहन चालक/स्वामी ने न्यायालय से अपनी जमानत कराई व वाहन को अपने पक्ष में रिलीज कराया। याची हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देकर प्रतिमाह ₹ २०,००० कमा लेता था।

३. विपक्षी सं. १ राज कुमार मोटर साइकिल सं. यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक व पंजीकृत स्वामी की ओर से १६बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वह प्रश्नगत मोटर साईकिल का पंजीकृत स्वामी है, उसके उपरोक्त वाहन से कभी कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। विपक्षी का यह भी कथन है कि उसे उपरोक्त मुकदमा में तंग व परेशान करने की नियत से घटना के कई दिनों बाद झूठा फसा दिया गया है तथा विपक्षी को उक्त घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

४. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक ०१.०१.२०१९ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

१. क्या दिनॉक १५.०९.२०१६ को समय करीब ४:३० बजे शाम जब याची अनुराग जूस लेने घर से पैदल जा रहा था और जब वह सड़क किनारे अपनी साइड से विश्वविद्यालय चौकी के पास पहुँचा तो पीछे से मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर नंबर

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.02 18:32:32 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक राज कुमार ने तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे याची गम्भीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा व गम्भीर चोटें आयीं ?

२. क्या बावक्त घटना मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर नंबर यू.पी. ९३ ए के ८५१६के चालक के पास वैध एवं प्रभावी डी.एल. था ? यदि हॉ तो उसका प्रभाव ?

३. क्या याची कोई प्रतिकर रशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हाँ तो कितनी ?

५. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याची की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य

१. याची द्वारा फेहरिस्त ७सी१ के माध्यम से ८सी१ लगायत ११सी१ जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, याची का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी के आकस्मिक विभाग का पर्चा, प्रश्नगत मोटर साईकिल के पंजीयन प्रमाणपत्र व चालक राज कुमार के चालक लाईसेन्स की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

२. फेहरिस्त २०सी१/१ लगायत २०सी१/२ के माध्यम से २०सी१/३ लगायत २०सी१/४१ प्रपत्र, जिनमें असल बिल व आरोप पत्र व नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ शामिल हैं,

३. याची द्वारा फेहरिस्त २४सी१/१ लगायत २४सी१/२ के माध्यम से २४सी२/३ लगायत २४सी१/२० प्रपत्र, जिनमें याची का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी का असल पर्चा, असल मुक्ति पत्र नारायण हॉस्पिटल, असल सी.टी. स्कैन रिपोर्ट, असल पैथॉलोजी रिपोर्टस, असल अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट, सिंघई हेल्थ केयर का असल पर्चा व २ किता एक्स-रे रिपोर्ट आदि शामिल हैं,

मौखिक साक्ष्य-

पी.डब्लू.१ याची अनुराग जैन स्वयं एवं पी.डब्लू.२ वसीम खान

विपक्षीगण की ओर से-

विपक्षीगण की ओर से कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

६. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी, विपक्षी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

७. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. १</u>

वाद बिन्दु सं.१ को साबित करने के लिये याची की ओर से ८सी१ प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति, २०सी१/३६ लगायत २०सी१/३९ आरोप पत्र, २०सी१/४१ नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ,२४सी२/३ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी का असल पर्चा, २४सी२/४ नारायण हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल सेन्टर का असल डिस्चार्ज कार्ड अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.१ के रूप से याची अनुराग जैन स्वयं जिसे कि दुर्घटना में चोटें आयी हैं, एवं पी. डब्लू.२ वसीम खान स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.१ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक १५.०९.२०१६ को वह अपनी माँ श्रीमती राजमती जैन को व्रत के लिए जूस व फल लेने घर से पैदल जा रहा था। जब वह शीला श्री होटल विश्वविद्यालय चौकी के पास पहुँचा तभी समय ४:३० बजे शाम पीछे से एक मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मार दी। मोटर साईकिल चालक चिरगाँव बड़ागॉव की तरफ से आ रहा था। टक्कर लगने से वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। मौके पर वसीम खॉ व अरविन्द कुशवाहा व अन्य लोग आ गये थे। मोटर साईकिल चालक को पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। मेडिकल कॉलेज में इलाज की सही व्यवस्था न होने के कारण उसे नारायण हॉस्पिटल व तत्पश्चात सिंघई हेल्थ केयर मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल व रामराजा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहॉ इलाज चला। दुर्घटना की रिपोर्ट उसके भाई ने मोटर साईकिल चालक के विरुद्ध थाने में लिखाई थी।

८. पी.डब्लू.२ वसीम खान ने कथन किया है कि दिनाँक १५.०९.२०१६ को वह अपनी मोटर साईकिल से मेडिकल गेट नं. ३ से मोटर स्टैण्ड की ओर शाम करीब ४:३० बजे जा रहा था। जब वह विश्वविद्यालय चौकी से पहले पहुँचा तभी उसे मोटर साईकिल नं. यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक ने तेजी व लापरवाही से क्रास करके आगे पैदल साइड से जा रहे अनुराग जैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे अनुराग जैन गम्भीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। मौके पर वह, अरविन्द कुशवाहा व अन्य लोग घायल को इमरजेन्सी मेडिकल कॉलेज में ले गये और मोटर साईकिल चालक को मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर

दिया। पी.डब्लू.१ व पी.डब्लू.२ से विस्तृत प्रतिपरीक्षा हुई है, किन्तु इन साक्षीगण की साक्ष्य में कोई ऐसा तात्विक विरोधाभास नहीं है, जिससे कि उक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर सन्देह किया जा सके।

९. ८सी१ प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में दुर्घटना दिनाँक १५.०९.२०१६ को समय ४:३० बजे सायं की है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट याची के भाई डॉ. संजय कुमार जैन द्वारा दिनाँक २५.०७.२०१७ को थाना नवाबाद, झाँसी पर अंकित कराई गयी जिसमें कथित दुर्घटना का दिनाँक १८.०८.२०१८ समय ४:३० बजे अंकित है। जिसके सम्बन्ध में याची ने याचिका में यह कथन किया है कि याची के भाई संजय कुमार जैन द्वारा वाहन के चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी किन्तु टाईपिंग मिस्टेक के कारण एफ.आई.आर. में घटना की तारीख १५.०९.२०१६ की जगह १५.०८.२०१६ लिख गयी। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध याची की ओर से दाखिल अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि याची ने अपनी याचिका में दुर्घटना की दिनॉक १५.०९.२०१६ समय ४:३० बजे अंकित किया है। याची की ओर से पत्रावली पर दाखिल प्रपत्र सं. २४सी२/३ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी के असल पर्चे में याची को दिनाँक १५.०९.२०१६ को आकस्मिक विभाग में इलाज हेतु ४:३० बजे लाया जाना दर्शित होता है तथा उक्त पर्चे पर आर.टी.ए. का भी उल्लेख है और इस बात का भी उल्लेख है कि यह शराब पीने का संभावित मामला है। ८सी१ प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त राज कुमार के विरूद्ध अपराध सं. ४४४/२०१७ अन्तर्गत धारा २७९, ३३७, ३३८ भा.दं.सं. मे दर्ज हुई है तथा उसमें डिस्कवर बजाज गाड़ी नं. यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक राजकुमार की तेजी व लापरवाही से याची को पीछे से टक्कर मारने के कथन का उल्लेख है तथा इसी अपराध में ही विवेचक द्वारा जो नक्शा नजरी २०सी१/४ बनाया गया है, उसमें याची द्वारा याचिका में वर्णित दुर्घटना स्थल को A स्थान से चिहिन्त किया गया है तथा उक्त अपराध में ही विवेचक द्वारा २०सी१/३६ लगायत २०सी१/३९ आरोपपत्र अन्तर्गत धारा २७९, ३३७, ३३८ भा.दं.सं. राजकुमार के विरुद्ध ही दाखिल किया गया है, जिसका समर्थन पी.डब्लू.१ व पी.डब्लू. २ ने अपनी साक्ष्य में किया है तथा दुर्घटना की दिनाँक १५.०९.२०१६ समय ४:३० बजे सायं ही बताई है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना की तिथि टाईपिंग की गलती से गलत अंकित हो गई है जबकि वास्तव में दुर्घटना की दिनाँक १५.०९.२०१६ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पुष्ट होती है। चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट मे लगभग १० माह के बाद दर्ज कराई गई है अतः ऐसी चूक संभावित है। जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है तो याचिका में याची का कथन है कि याची के भाई ने कई बार थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिये किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। दिनाँक २४.०७.२०१७ को पुनः याची के भाई ने चालक राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसके पश्चात वाहन चालक/स्वामी ने न्यायालय से अपनी जमानत कराई व वाहन को अपने पक्ष में रिलीज कराया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में लगभग १० माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है, जिसका स्पष्टीकरण याची ने अपनी याचिका व प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दिया है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): MANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा -२० और २१] इस प्रकार बिलम्ब का जो कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिया गया है। यदि मिलीभगत से मुकदमा तैयार किया जाता तो ऐसे वाहन के विरुद्ध तैयार किया जाता जिसका बीमा होता। जहां तक शराब पीने के संभावित मामले का प्रश्न है तो इस प्रकार का कोई भी अभिकथन विपक्षी की ओर से नही किया गया है। विपक्षी ने तो दुर्घटना होने से ही इंकार कर दिया है। संभव है कि सिर मे चोट आने के कारण उत्पन्न हाव-भाव से चिकित्सक ने शराब पीने के मामले की संभावना व्यक्त की हो। याची और विपक्षी की कोई रंजिश साबित नही है तो अकारण झूठा फसाये जाने की भी कोई वजह नही है। साक्षीगण का कथन है कि पीछे से टक्कर मारी गई। नक्शा नजरी के अनुसार साइड से टक्कर हुई है। नक्शा नजरी किसकी निशानदेही पर बनाई गई है स्पष्ट नही है अतः मात्र नक्शानजरी के कारण मोटर साईकिल चालक की लापरवाही को नकारा नही जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार साईकिल चालक पर तीन ब्यक्ति सवार थे। जहाँ तक घटना स्थल का प्रश्न है तो नक्शा नजरी के अनुसार यह मेडिकल कालेज के गेट नं. १ व जय महाकाली

पैथालॉजी व मेडिकल स्टोर के मध्य दर्शाया गया है। PW2 ने दुर्धटना मेडिकल गेट नं. ३ के आगे व यूनिवर्सिटी पुलिस चौकी के पहले बताई है। याची PW1 ने दुर्धटना स्थल यूनिवर्सिटी पुलिस चौकी के पास शीला श्री होटल के पास बताई है तथा यह भी बताया है कि जय महाकाली पैथालॉजी व मेडिकल स्टोर तथा शीला श्री होटल के मध्य १०-१५ कदम की दूरी है। यदि यह स्पष्ट न हो कि नक्शा नजरी किसकी निशानदेही पर बनाई गई है तो दुर्घटना स्थल मे १०-१५ कदम की दूरी का अंतर महत्त्वपूर्ण नही होता है। जहाँ तक मोटर साईकिल व चालक को दुर्घटना के पश्चात पुलिस के हवाले किए जाने का प्रश्न है तो यह आवश्यक नही कि मात्र इतने से ही चोट के मामले मे प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज ही हो जाए। याची के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से इंकार नही किया जा सकता कि छोटे मामलों मे पुलिस रिपोर्ट लिखने मे हीलाहवाली करती है और गरीब आदमी को तो थाने से भगा देती है इसी वजह से दण्ड प्रक्रिया संहिता का धारा १५६(३) का प्रावधान किया गया है। यदि यह साबित हो जाता है कि मोटर साइकिल की टक्कर से घायल हुआ और योगदाई उपेक्षा का अभिवचन नही लिया गया है तो टक्कर आगे से लगी या पीछे से इस बात का कोई महत्त्व नही रह जाता है। मरीज को यह अधिकार है कि वह अपना इलाज अपनी संतुष्टि वाले अस्पताल मे कराए तथा मेडिकल पर्चों मे याची की आयु मे अंतर के कारण दुर्घटना को नकारा नही जा सकता है। याची का भाई यदि आयुर्वेदिक डाक्टर है तो मात्र इसी से यह नही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेडिकल बिल फर्जी हैं।

१०. पत्रावली पर याची की ओर से दाखिल आरोपपत्र के अवलोकन से विदित है कि विवेचक ने बाद विवेचना प्रश्नगत मोटर साइकिल के चालक राज कुमार पुत्र मुरारी लाल के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा २७९, ३३७, ३३८ भा.दं.सं. दाखिल किया है। आरोप पत्र से भी उक्त दुर्घटना व याचिका के कथनों व याची की साक्ष्य की पुष्टि होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्य व विवेचक द्वारा दाखिल आरोपपत्र व नक्शा नजरी व याची की मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से विपक्षी के जवाबदावा में किये गये इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रस्तुत प्रकरण की कथित कोई दुर्घटना न हुई हो तथा विपक्षी को झूठा फसाया गया हो। इसके अतिरिक्त विपक्षी ने अपने जवाबदावा के कथनों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में स्वयं को परीक्षित नहीं कराया है और न ही अन्य किसी स्वतन्त्र साक्षी का साक्ष्य कराया है तथा न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी दाखिल किया है। याची का कथन है कि उसे उक्त प्रश्नगत मोटर साईकिल के चालक द्वारा अपनी मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से जोरदार टक्कर मारी गयी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। उक्त कथनों का समर्थन पी.डब्लू.१ व पी.डब्लू.२ द्वारा किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में किसी अन्य वाहन के संलिप्त होने तथा योगदाई उपेक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। याची की ओर से दाखिल २४सी२/३ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी का असल पर्चा, २४सी२/४ नारायण हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल सेन्टर के असल डिस्चार्ज कार्ड व अन्य चिकित्सीय प्रपत्रों से भी याची की मौखिक साक्ष्य का समर्थन होता है। विधि व्यवस्था **अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य(09.02.2018-S.C): MANU/SC/ 0105/2018** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था । उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

११. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मै इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक १५.०९.२०१६ को समय करीब ४:३० बजे शाम जब याची अनुराग जूस लेने घर से पैदल जा रहा था और जब वह सड़क किनारे अपनी साइड से विश्वविद्यालय चौकी के पास पहुँचा तो पीछे से मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर नंबर यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक राज कुमार ने मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे याची गम्भीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा व याची को गम्भीर चोटें आयीं। अत: **वाद बिन्दु सं. १** तदनुसार सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१२. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या २</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. ११सी१ प्रश्नगत मोटर साइकिल सं. यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक राज कुमार की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक राजकुमार दिनाँक ०५.१२.२०१६ से

०४.१२.२०३६ तक एम.सी.डब्लू.जी. व एल.एम.वी. वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। घटना दिनाँक १९.०९.२०१६ की है, जबकि विपक्षी राजकुमार चालक का उक्त चालक लाइसेन्स दिनाँक ०५.१२.२०१६ से प्रभावी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बावक्त घटना मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर नंबर यू.पी. ९३ ए के ८५१६ के चालक के पास वैध एवं प्रभावी डी.एल. नहीं था। अत: वाद बिन्दु सं. २ नकारात्मक रूप से विपक्षी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। चालन अनुज्ञप्ति न होना भी यह दर्शित करता है कि चालक वाहन चलाने मे निपुण पही था।

१३. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ३</u>

वाद बिन्दु सं.१ के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी राजकुमार प्रश्नगत मोटर साईकिल के चालक की तेजी व लापरवाही से घटित हुई है तथा वाद बिन्दु सं.२ से यह साबित है कि दुर्घटना के दिनाँक व समय विपक्षी राज कुमार के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी चालक लाइसेन्स नहीं था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी ने अपने जवाबदावे में यह कथन किया है कि वह प्रश्नगत मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९३ ए के ८५१६ का पंजीकृत स्वामी है, किन्तु उसने अपने जवाबदावा मे यह कथन नहीं किया है कि उसकी उक्त प्रश्नगत मोटर साईकिल दुर्घटना की दिनाँक व समय पर किसी बीमा कम्पनी से बीमित थी अथवा नहीं और न ही उसके द्वारा अपनी उक्त मोटर साईकिल की बीमा पॉलिसी दाखिल की गयी है। यद्यपि प्रश्नगत प्रकरण में प्रश्नगत मोटर साईकिल के बीमित होने के सम्बन्ध में कोई वाद बिन्दु निर्मित नहीं हुआ है तदापि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि प्रश्नगत मोटर साईकिल दुर्घटना की दिनाँक, व समय पर बीमित थी। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि याची विपक्षी से प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अब यह देखना है कि याची प्रस्तुत प्रकरण में कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

१४. याची की ओर से अपनी याचिका में दुर्घटना में आयी चोटों से उसे स्थाई अथवा अस्थाई विकलांगता के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नही दिया है। अतः याची का यह मामला स्थाई/अस्थाई विकलांगता का नहीं बनता है। किन्तु याची ने अपनी याचिका में यह कथन किया है कि उसकी गम्भीर हालत होने के कारण तथा मेडिकल कॉलेज, झाँसी में इलाज की सही व्यवस्था न होने के कारण उसके परिवार वालों ने याची को नारायण हॉस्पिटल आई.सी.यू. में भर्ती कराया। दुर्घटना में याची की बायीं आँख के ऊपर व नीचे गम्भीर चोटें आई तथा कई टॉके लगे तथा एक्स-रे व सीटी स्कैन में याची के दिमाग की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया एवं सिर में चार जगह ब्लड क्लोटिंग हो गयी थी, जिस कारण अचेतन अवस्था में रहकर उसका आई.सी.यू. में इलाज चलता रहा व वह दिनाँक १७.०९.२०१६ से २५.०९.२०१६ तक नारायण हॉस्पिटल, झाँसी में भर्ती रहा। याची के ठीक न होने पर वह सिंघई हेल्थ केअर मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, करगुवॉ, झाँसी में ३१.०५.२०१७ से ०५.०६.२०१७ तक भर्ती रहा व इलाज चला। इसके अलावा याची का रामराजा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल ओरछा रोड, झॉसी में दिनाँक ०८.०७.२०१७ से १५.०७.२०१७ तक भर्ती रहकर इलाज चला। सिंघई व रामराजा हॉस्पिटल मे याची के गाल ब्लैडर मे स्टोन का इलाज चला है जो कि दुर्घटना से संबंधित नही है अतः इसको गणना मे नही लिया जा रहा है। याची के दिमाग में गम्भीर चोट होने के कारण याची पूर्व की भांति कार्य करने में सक्षम नहीं है तथा उसकी याददास्त एवं कार्यक्षमता में कमी आ गई है इसका कोई चिकित्सीय प्रमाण नही है हलाँकि टेम्पोरल बोन मे फैक्चर जैसी दिमागी चोट सामान्य होने मे लगभग तीन माह का समय अवश्य ले लेती है। याची ने अपने कथनों के समर्थन में फैहरिस्त २४सी१ व २०सी१ के माध्यम से इलाज के असल पर्चे, असल डिस्चार्ज कार्ड, असल पैथोलॉजी रिपोर्टस व विभिन्न दवाओं से संबंधित असल कैश मीमो, रसीदें आदि दाखिल की हैं। असल पर्चे २४सी२/३ व असल डिसचार्ज कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची को बांयी आंख व सिर में वर्णित चोटें आई हैं तथा पत्रावली पर दाखिल अन्य प्रपत्रों से स्पष्ट है कि याची को दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसका सीटी स्कैन कराया गया तथा विभिन्न जांचे व एक्स-रे आदि कराये गये है। याची की ओर से पत्रावली पर दाखिल बिलों एवं रसीदों का कुल योग ₹ ५४,१७२ होता है, जिनमे से ₹ २६५०३ के बिल स्वीकार किए जाने योग्य हैं। शेष बिल एक वर्ष बाद के पथरी के इलाज के हैं जिनका दुर्धटना से कोई संबंध नही है। याची ने याचिका में कथन किया है कि वह हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर प्रतिमाह ₹ २०,००० कमा लेता था जिसका समर्थन याची ने पी.डब्लू.१ के रूप में अपनी साक्ष्य से किया है, किंतु कोई रसीदें प्रस्तुत नही की हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता कि याची को ट्यूशन से उक्त आय अर्जित होती होगी तथा वह ट्यूशन का कार्य करता हो। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में याची की उक्त वर्णित चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए ₹ १०,०००, पुष्टाहार के लिये ₹ ५,०००, लगभग ३ माह कार्य न कर पाने के कारण हुई हानि के मद में प्रकल्पित आय ₹ १६५ प्रतिदिन

के हिसाब से ९०×१६५ = ₹ १४,८५०, सहायक की सेवाओं के लिए खर्च पर एक मुश्त ₹ ५,०००, इलाज के लिये आवागमन पर हुये व्यय के मद में ₹ ५,००० दिलाया जाना न्यायोचित समझता हूँ। इस प्रकार याची कुल २६,५०३+१०,०००+५,०००+१४,८५०+५,०००= ६१,३८० (इकसठ हजार तीन सौ अस्सी रुपये) तथा इस धनराशि पर ब्याज ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वास्तविक भुगतान के दिनाँक तक दिलाया जाना भी उचित होगा । तदनुसार वाद बिन्दु सं. ३ निर्णीत किया जाता है।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका विपक्षी राज कुमार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ ६१,३८० (इकसठ हजार तीन सौ अस्सी रुपये) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी राज कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनाँक से ६० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० IFSC Code SYNB ०००९२३५ में RTGS/NEFT के माध्यम से कर दें।

उक्त धनराशि जमा होने पर याची उक्त प्रतिकर की समस्त धनराशि मय ब्याज अपने बैंक खाते में जरिये RTGS/NEFT नकद प्राप्त करेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक ०२.०२.२०२१

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी।

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक ०२.०२.२०२१

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी।